न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 51/2020 (जीसीएमएस नम्बर–2020/00060)

1. मूल्या पुत्र मांग्या
2. लोहड़या पुत्र मांग्या

जातियान गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज.)

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार सिकराय निर्णय दिनांक 28.03.2011 अपील संख्या 372/2011 उनवानी सरकार बनाम मूल्या वगै0 व निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 16.02.2015 प्रकरण संख्या 90/2014 उनवानी मूल्या बनाम राजस्थान सरकार पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट अनुपस्थित।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–30.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 16.02.2015 एवं नायब तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.03.2011 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2067 में वाके ग्राम पीपलकी की आराजी खसरा नम्बर 76/1 लगायत 5 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता पर पुख्ता मकान डोल बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अतिक्रमण हटा लिये जाने व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अपीलान्ट नायब तहसीलदार सिकराय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें की मौके पर अतिक्रमी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उपर्युक्त शर्तों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी तथा सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर नायब तहसीलदार सिकराय का शेष निर्णय यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2015 पारित किया गया है।

3. नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.03.2011 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 16.02.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 28.03.2011 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेसपोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस रेस्पोडेन्ट सुनी गयी। ।

5. अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों का निर्णय विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का कोई कब्जा नहीं है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश की गई है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुये यह निर्णय पारित किया है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काश्त नहीं होने का) का अवलोकन नहीं करते हुये निर्णय पारित कर दिया है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 (1) लैण्ड रेवन्यू के अन्तर्गत निर्णय करते हुये यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ट्रेसपासर है या नहीं। परन्तु योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखकर यह निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 16.02.2015 मुकदमा नम्बर 90/2014 मुकदमा उनवानी प्रकरण मूल्या बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा दिनांक 28.03.2011 मुकदमा नम्बर 372/2011 उनवानी सरकार बनाम मूल्या वगै0 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2067 में वाके ग्राम पीपलकी की आराजी खसरा नम्बर 76/1 लगायत 5 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता पर पुख्ता मकान डोल बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहाँ अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 03.06.2011 के अपील खारिज कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के यहाँ अपील प्रस्तुत की गयी। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा ने निर्णय दिनांक 14.06.2012 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर यह आदेश प्रदान किये गये कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जो कि लैण्ड होल्डर भी है के समक्ष उपरोक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दें कि उसने विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड दिया है एवं यह भी शपथ पत्र में स्पष्ट अंकित करें कि भविष्य में वह इस पर कब्जा नहीं करेगा। उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर देने पर सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। सम्बन्धित तहसील के सदर कानूनगो के माध्यम से तहसीलदार सम्बन्धित पटवारी को प्रस्तुत शपथ पत्र की जानकारी अग्रिम गिरदावरी से पूर्व उपलब्ध करा देंगे ताकि शपथ पत्र के उल्लंघन अर्थात पुनः अतिक्रमण की स्थिति में क्रिमिनल कार्यवाही की जा सके। आर्थिक पेनल्टी की सजा यथावत रखी जाती है। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। इसके पश्चात नायब

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2014 में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र पेश नहीं किये जाने पर अपीलांट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में अपील दायर की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलान्ट के अतिक्रमण हटा लिये जाने व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया की अपीलान्ट उप तहसीलदार सिकराय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें की मौके पर अतिक्रमी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उपर्युक्त शर्तों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी तथा सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर तहसीलदार सिकराय का शेष निर्णय यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2015 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2011 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2015 द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पूर्व में आदेशिका दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करने तथा अन्यथा की स्थिति में पत्रावली का अवलोकन कर एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने की हिदायत दी गई। फिर भी अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अपील की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस के आधार पर किया जाना उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का पीपलकी की रिपोर्ट दिनांक 28.03.2011 में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2067 में वाके ग्राम पीपलकी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 76/1 लगायत 5 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता पर पुख्ता मकान डोल बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है तथा रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा निर्णय दिनांक 14.06.2012 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 16.02.2015 की पालना में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की श्रेणी में आता है। उपरोक्त से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स प्रकरण में देरी करना चाहते हैं तथा अतिक्रमण को नहीं हटाना चाहते हैं। अपीलान्ट एक ही आदेश (आदेश दिनांक 28.03.2011) के विरूद्ध बार-बार उच्चतर न्यायालयों में अपील प्रस्तुत कर रहे हैं जो रेस ज्युडिकेटा (Res Judicata) के सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रक्रिया भी नहीं है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। पटवारी हल्का पिपलकी के बयान दर्ज किये गये। जिनको नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रमाणित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण गै0मु0 रास्ते पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2015 जिसके द्वारा जो सजा माफ की गई है, को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2011 तथा निर्णय दिनांक 27.10.2014 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2015 जिसके द्वारा जो सजा माफ की गई है, को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2011 एवं निर्णय दिनांक 27.10.2014 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर